राजस्थान सरकार

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग,
पेंशन भवन, ज्योति नगर, जयपुर, राजस्थान

राजस्थान सिविल पेंशनरः

जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के आसान तरीके

1. पेंशन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करना।
2. आधार न0 से ऑथेन्टीकेडेट बायोमेट्रिक मशीन द्वारा।
3. जीवन प्रमाण मोबाइल एप से फेस ऑथेन्टीकेशन द्वारा।
4. मैन्यूअली/व्यक्तिगत उपस्थिति द्वारा

राजस्थान राज्य में पेंशन विभाग सेभुगतान प्राप्त कर रहे राजस्थान सरकार के सिविल पेंशनर ऐसे प्रस्तुत कर सकेंगे अपना जीवन प्रमाण पत्र

पेंशन भोगियों को पेंशन जारी रखने के लिए जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना एक आवश्यक प्रक्रिया है। जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के विभिन्न विकल्प उपलब्ध हैं। जिनका उपयोग अपनी सुविधा अनुसार किया जा सकता है। इनका विस्तृत विवरण इस प्रकार है:–

प्रथम तरीका

(1) **पेंशन विभाग की वेबसाइट पर प्रमाणित जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करके:–**

1. कमप्यूटर या लेपटॉप पर ब्राउजर में गूगल खोले।

2. इस पर पेंशन विभाग की वेबसाईट का नाम IFPMS/या https://pension.raj.nic.inटाईप करें।

3. वेबसाईट खुलने पर Pensioners ServicesमेंApply forमेंPensioner login **पर** क्लिक **करें**

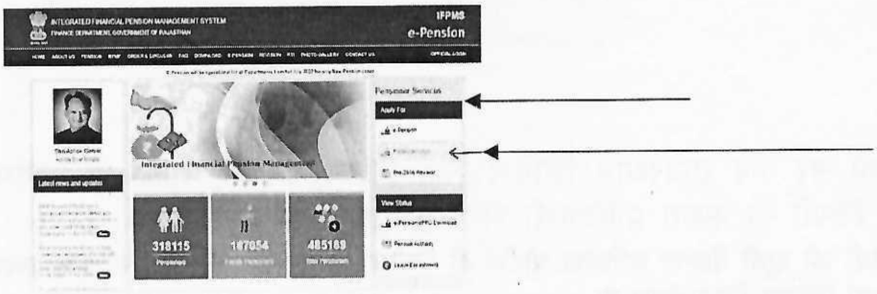

4.जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के विभिन्न तरीकों सहित सहित पेंशनर को प्रदत अन्य सभी सुविधाऐं देखने हेतु अपना **PPO No** एवं **Enter last 4 digits of Account no** डालकर Captcha डालने के बाद Login पर क्लिक करें।

PPO No एवं Enter last 4 digits of Account no अंकित कर **login** करने के पश्चात **निम्नानुसार Interface उपलब्ध होगाः–**

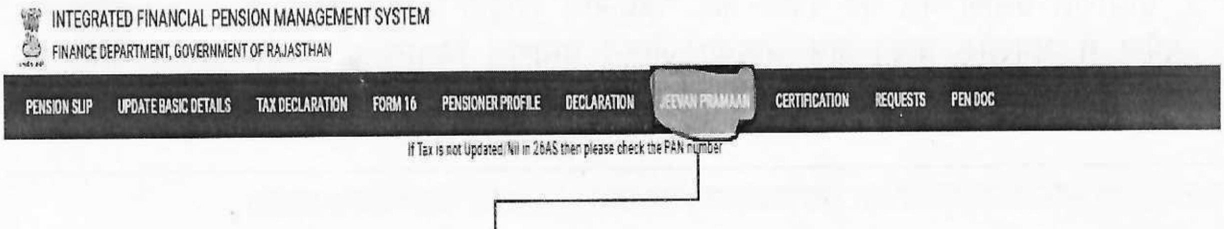

इसमेंJEEVAN PRAMAAN वाले कॉलम में पेंशनर की सुविधा हेतु जीवन प्रमाण का खाली प्रपत्र उपलब्ध है।

1- पोर्टल पर उपलब्ध जीवन प्रमाण प्रपत्र को डाउनलोड कर प्रिंन्ट कर लें।

2- प्रमाण पत्र को भर कर राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 134 में विनिर्दिष्ट किसी भी सक्षम प्राधिकारी से प्रमाणित करावें।

सक्षम अधिकारियों की सूची पेंशनर सविसेज पोर्टल के "जीवन प्रमाणन" कॉलम परक्लिक करके देख सकते हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

(I) **दण्ड प्रकिया संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति;**

(II) **भारतीय पंजीयन अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया रजिस्ट्रार या सबरजिस्ट्रार;**

(III) **राजपत्रित अधिकारी;**

(IV) **किसी पुलिस थाने का प्रभारी जो सब–इन्सपेक्टर की रैंक से निम्न स्तर का पुलिस अधिकारी ना हो;**

(V) **पोस्टमास्टर, विभागीय सब–पोस्टमास्टर या डाकघर का निरीक्षक;**

(VI) **रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का प्रथम श्रेणी का अधिकारी या स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का अधिकारी याएजेंट के रूप में नियुक्त सब–एकाउण्टेंट या स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की शाखा में या रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट,1954 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित बैंक शाखा कार्यालय पर सब–एकाउण्टेंट;**

(VII) **विकास अधिकारी या नायब तहसीलदार;**

(VIII) **सांसद या विधायक या ग्रम पंचायत का सरपंच;**

(IX) **पेंशन प्राप्तकर्ता अधिकारी जिसने सेवानिवृति पूर्व एक मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग किया था;**

या

आधार बायोमैट्रिक अधिप्रमाणन के परिणामस्वरूप सरकारी एजेंसी द्वारा ऑनलाइन जारी जीवन प्रमाण पत्र भी विधि मान्य प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार किया जायेगा।

नोटः–   एक पेंशनभोगी जो भारत में निवासी नहीं हो, जिसके संबंध में उसका विधिवत्प्राधिकृत एजेंट किसी मजिस्ट्रेट, नोटरी, बैंकर या भारत के किसी राजनयिक प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित जीवन पमाण–पत्र प्रस्तुत करता है, व्यक्तिगत उपस्थिति से मुक्त है।

3. प्रमाणित प्रमाण पत्र को स्कैन कर "अपलोड लाइफ सर्टिफिकेट" में जाकर निर्धारित स्पेस में अपलोड करें। अब आपका जीवन प्रमाणन विभाग के पोर्टल पर सबमिट हो गया है।

निर्धारित जीवन प्रमाण पत्र का प्रोफोर्मा निम्नानुसार हैः–

> जीवन–प्रमाण पत्र
>
> प्रमाणित किया जाता है कि मैंने पेंशनर...................................(पेंशनर का नाम) जो पेंशन भुगतान आदेश संख्या...............................का धारक है एवं जिनका खाता संख्या XXXX.......(अन्तिम चार अंक) को देखा है एवं वह इस तारीख को जीवित है।
>
> **हस्ताक्षर पेंशनरः–** **हस्ताक्षर (बैक अधिकारी)-----------**
>
> **स्थान :–नामः–**
>
> **तरीख :.............** **प्राधिकृत अधिकारी का पद (मुहर) :.....**

<u>द्वितीय तरीका</u>

(2) **<u>आधार नम्बर से ऑथेन्टीकेटेड बायोमेट्रिक मशीन द्वाराः–</u>**

बायोमेट्रिक प्रकिया द्वारा जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा सभी ई–मित्र सेवा केन्द्रों, डाकघरों,पेंशन विभाग के सभीकार्यालयों एवं पेंशन विभाग के निदेशालय पर उपलब्ध है।राजस्थान के लगभग 80,000ई–मित्र सेवा केन्द्रों की सूची पेंशनर सर्विसेज पोर्टल पर उपलब्ध है। इस सूची को जीवन प्रमाणन के कॉलम में ही अपने क्षेत्र का पिनकोड डालकर आस–पास के सभी केन्द्रों की सूची देख सकते हैं। यह परेशानी से मुक्त प्रकिया है और प्रमाण पत्र तुरन्त जारी होता है। इसके सफल समापन पर एक प्रमाण आईडी उत्पन्न होती है, जिसे एनआईसी द्वारा सीधे ही पेंशनभोगी के साथ साझा किया जाता है। प्रमाण आईडी जनरेट होने के बाद, लिंक के माध्यम से पेंशन भोगी अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

https://jeevanpramaan.gov.in/ppouser/login.

ई–मित्र सेवा केन्द्र या डाकघर या पेंशन कार्यालय में जाकर बायोमेट्रिक प्रकिया से जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए निम्नदस्तावेज/सूचना साथ लेकर जानाआवश्यक हैः–

1. पेंशनर का पी.पी.ओ नम्बर
2. पेंशनर का आधार कार्ड
3. पेंशनर के बैंक खाते का विवरण जिसमें पेंशन प्राप्त होती है
4. पेंशनर के पेंशन वितरण एजेंसी का नाम
5. पेंशनर का आधार से रजिस्टर्ड मोबाईल फोन(ओटीपी हेतु)

6. ईमेल आईडी(Optional)

सभी पेंशन कार्यालयों में यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है।

ई–मित्र सेवा केन्द्रो पर सेवा शुल्क निम्नानुसार है:–

1. जीवन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन फीस रू 50/-
2. प्रिन्ट का शुल्करू 20/-

विशेष: घर बैठे जीवन प्रमाणन की सुविधा:–

(1) ई–मित्र सेवा केन्द्रों द्वारा

वर्तमान में केवल जयपुर शहर एवं जोधपुर शहर में कई ई–मित्र सेवा केन्द्रों द्वारा eMitra@home की सुविधा भी प्रदान की जा रही है, इस सुविधा के तहतसेवा केन्द्र के ई–सहायक द्वारा घर पर उपस्थित होकर बायोमेट्रिक प्रक्रिया द्वारा जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की कार्यवाही सम्पादित करायी जाती है।

eMitra@home की सेवाएं प्राप्त करने हेतु प्रार्थी को टोल फ्री न0 18001806127 पर कॉल करना होगा अथवा सेवा केन्द्र की साईट https://emitraathome.rajasthan.gov.in/पर उक्त सेवाओं के आवेदन हेतु प्रार्थी द्वारा बताए गए समय हेतु कॉल रजिस्टर्ड की जावेगी। तत्पश्चात रजिस्टर्डकॉलई–सहायक को आंवटित की जावेगी। ई–सहायक प्रार्थीके घर जाकर उसे फार्म भरने एवं आवश्यक दस्तावेजो को संलग्न करने हेतु पूर्ण सहायता प्रदान करेगा एवं संबधित पोर्टल पर अपलोड कर रसीद देगा।ई–सहायकराज्य सरकार की निर्धारित प्री प्रिटेंड स्टेशनरी पर प्रिन्ट कर घर तक पहुँचायेगा।

ई–मित्र सेवा केन्द्रों पर शुल्क निम्न प्रकार है:–

1. जीवन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन फीस रू 50/-
2. प्रिन्ट का शुल्करू 20/-
3. ई–मित्र सेवा शुल्क रू 73/-

ई–मित्र केन्द्रों परई–सहायक द्वारा पेंशनर से निम्न सूचना मांगी जावेगी अतः सूचना निम्नानुसार अंकित करावे:–

Pensioner Name	पेंशनर अपना नाम बतावें
Type of Pension	Service
OrganizationType	State Government/ut
Sanctioning Authority	State government Rajasthan
Disbursing Agency	Rajasthan Treasury-Sub Treasury
Treasury/Sub. Treasury	Jaipur pension**जयपुर जिले हेतु या अन्य जिले हेतु उस जिलेके कोष कार्यालय का नाम अंकित**

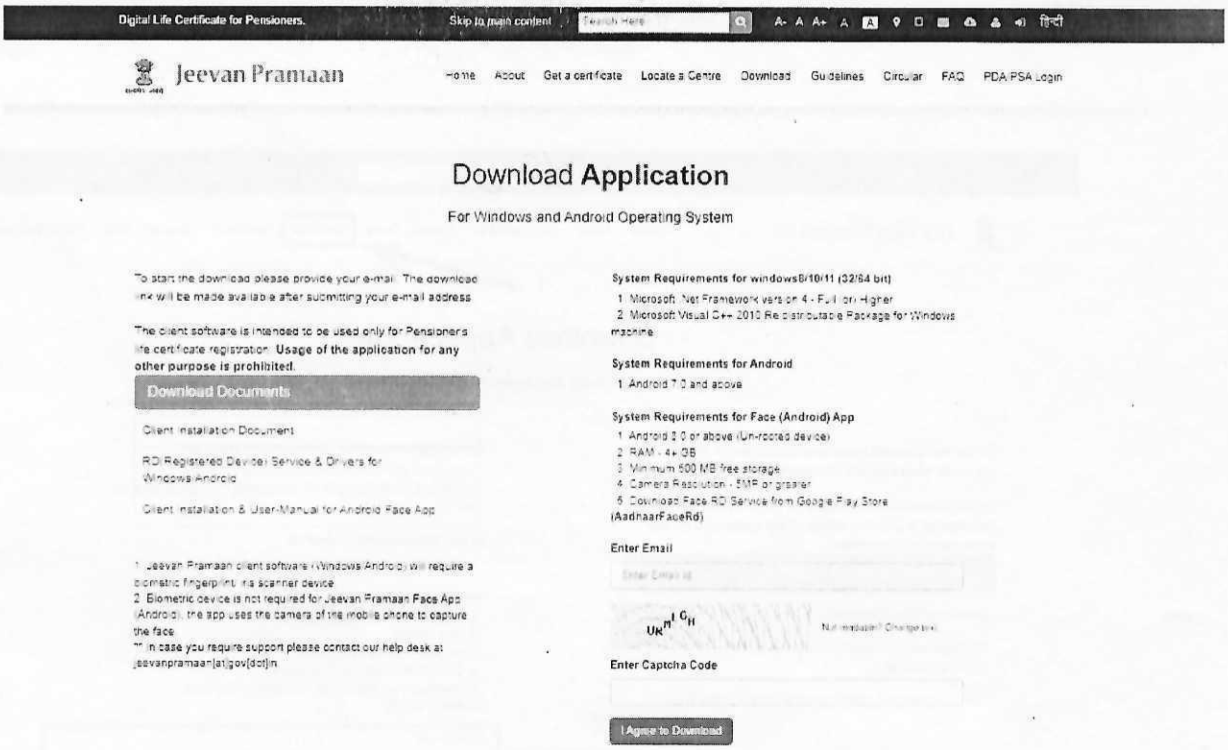

प्राप्त वेबसाइट पर 1. Download के आप्शन पर क्लिककरें।

2. Valid Email IDडालें

3. Captchaपूर्ण कर आप्शन पर क्लिककरें।

4. I Agree download के आप्शन पर क्लिककरें।

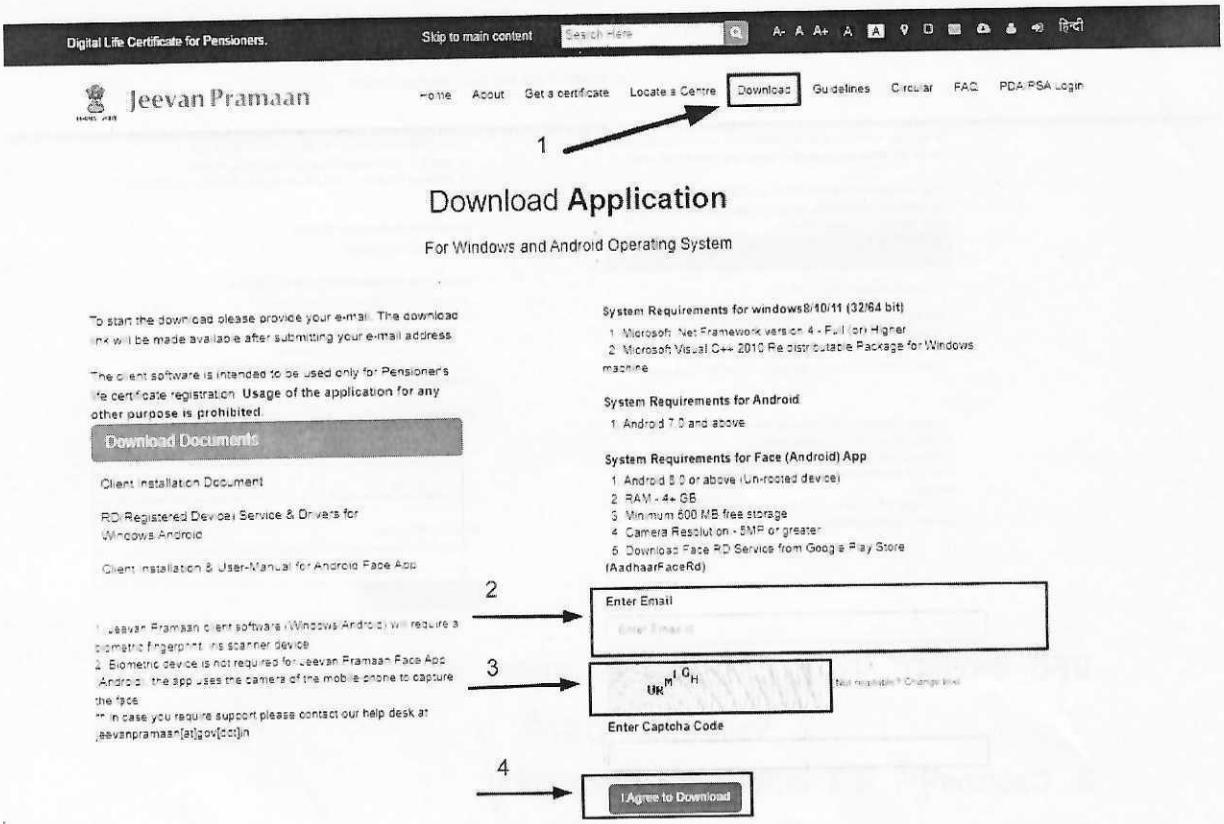

ईमेलपर एक OTP आएगा उसे निर्धारित स्थान पर डालकर सबमिट करें।

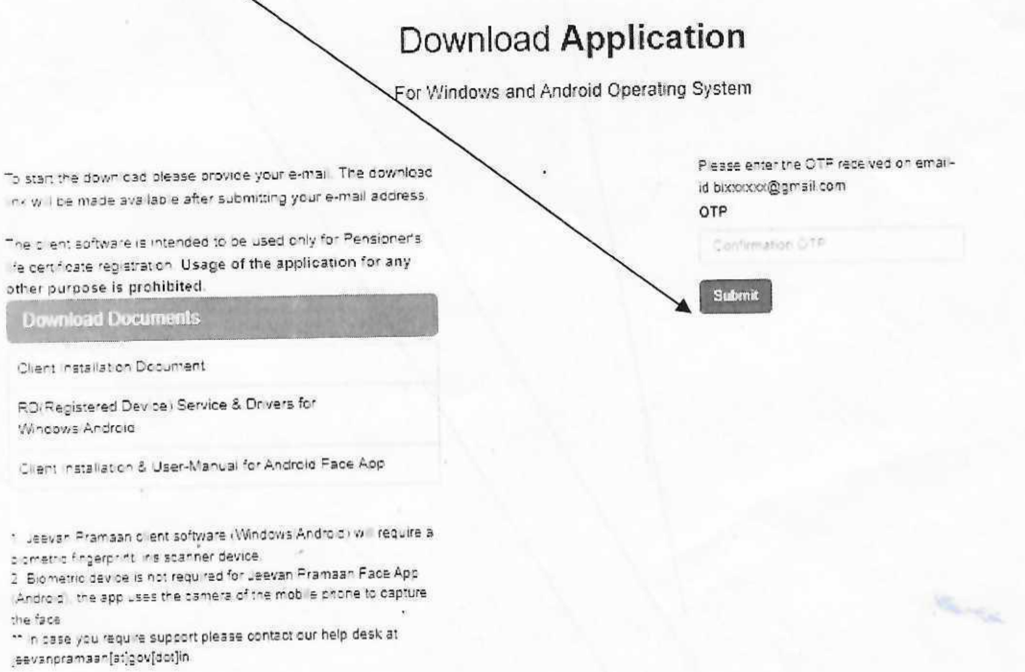

इसके पश्चात मेल पर एक लिंक आएगालिंक पर क्लिक कर फाईल डाउनलोड कर एप इन्सटाल कर लें। फाईल को ओपन कर सभी कॉलमों की पूर्ति करसबमिट करें। प्राप्त ओ.टी. पी. को सबमिट करें।

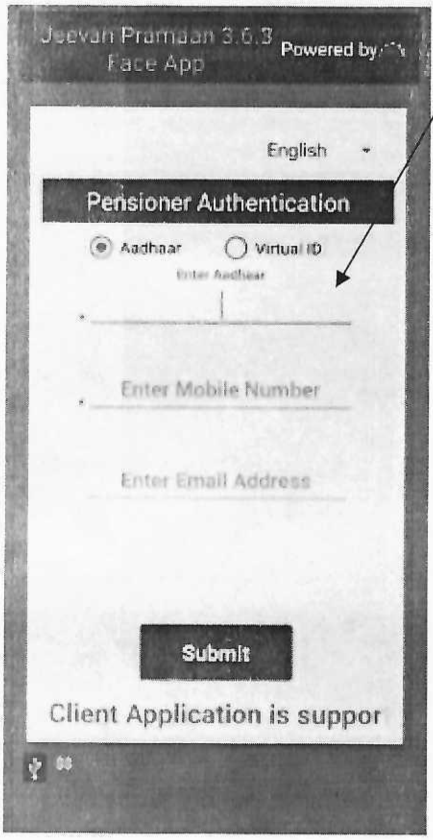

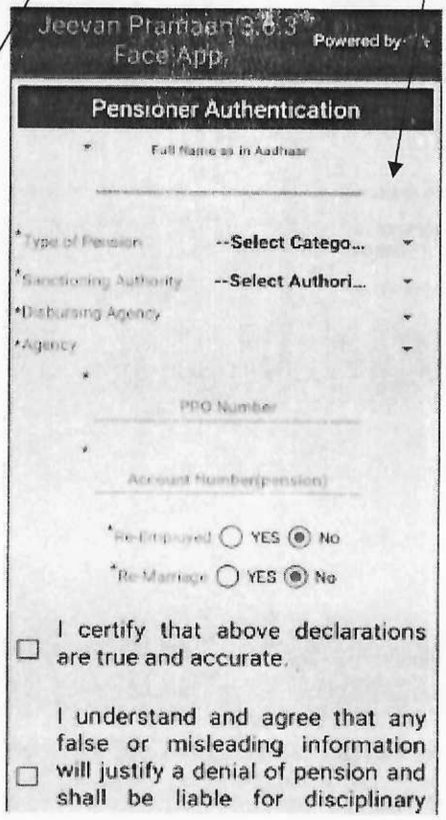

<u>इस पॉप–अप विंडो में, स्कैन प्रक्रिया जारी रखने के लिए हां चुनें, चैक बोक्स को क्लिक करें और मोबाईल स्क्रीन पर प्राप्त निर्देशों की पालना करें।मोबाईल पर स्कैन करते समय उचित रोशनी के साथ अपने चेहरे को सीधा रखें और स्क्रीन पर दिखाए गए निर्देशों का पालन करें।फेस स्कैनिंग के बाद, जीवन प्रमाण पत्र सबमिशन प्रमाण आईडी और पीपीओ नंबर के साथ मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई देता है।</u>

(ब)राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 134 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का प्रथम श्रेणी का अधिकारी या स्टेट बैक ऑफ इण्डिया का अधिकारी या एजेन्ट के रूप में नियुक्त सब अकाउटेन्ट या स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की शाखा कार्यालय पर

इसके पश्चात जीवन प्रमाणन का वर्जन 3.6.3 एन्डरोएड फेस एप डाउनलोड करें।

Download **Application**

For Windows and Android Operating System

To start the download please provide your e-mail. The download link will be made available after submitting your e-mail address.

The client software is intended to be used only for Pensioner's life certificate registration. **Usage of the application for any other purpose is prohibited.**

Download Documents

- Client Installation Document
- RD(Registered Device) Service & Drivers for Windows/Android
- Client Installation & User-Manual for Android Face App

1. Jeevan Pramaan client software (Windows/Android) will require a biometric fingerprint/ iris scanner device
2. Biometric device is not required for Jeevan Pramaan Face App (Android), the app uses the camera of the mobile phone to capture the face.

** In case you require support please contact our help desk at jeevanpramaan[at]gov[dot]in

For Windows OS

Download Jeevan Pramaan Ver 3.7.3

For Mobile App

Download Jeevan Pramaan Ver 3.7.3 Android App

Download Jeevan Pramaan Ver 3.6.3 Android Face App

सब–एकाउण्टेंट राजस्थान सरकार के पेंशनर्स के जीवन प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करइसे जारी करने हेतु अधिकृत हैं।

चौथा तरीका

(अ) **पेंशन कार्यालयों/कोष कार्यालयो में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकरः**–पेंशनर नियमानुसार निर्धारित जीवन प्रमाण पत्र का प्रपत्र जो पूर्ण रूप से भरा हुआ हो एवं विनिदिष्ट प्राधिकारी से प्रमाणित हो, को पेंशन कार्यालयों/कोष कार्यालयों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। इस प्रमाण पत्र को संबधित कायालय द्वारा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।

नोटः– राजस्थान सरकार के अन्य सिविल पेंशनर्स जो अन्य राज्यों में किसी कोष कार्यालय या बैक से पेंशन का भुगतान प्राप्त कर रहे हैं, वे अपना जीवन प्रमाण पत्र संम्बन्धित पेंशन वितरण कार्यालय/बैंक में प्रस्तुत करें।

चेतावनी

1. पेंशनर की मृत्यु की स्थिति में परिवार के सदस्यों का यह दायित्व है कि वो पेंशनर की मृत्यु की सूचना (मृत्यु प्रमाण पत्र सहित) तुरन्त कोष कार्यालय में देवें। यदि परिवार के सदस्यो के द्वारा इस तथ्य को छिपाते हुए पेंशन लगातार आहरित की जाती है तो यह आर्थिक अपराध की श्रेणी में आएगा और संबधित के खिलाफ नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जावेगी।
2. अन्य किसी मिलती–जुलती वेबसाइट, मोबाइल एप या लिंक या मैसेज से जीवन प्रमाण संबधी जानकारी चाहे जाने पर उस पर अपनी कोई व्यक्तिगत सूचना साझा नहीं करें, इससे पेंशनर को आर्थिक हानि हो सकती है। केवल वैध एवं मान्य माध्यमो से ही जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का प्रारूप

जीवन – प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने पेंशनर ....(पेंशनर का नाम) जो पेंशन भुगतान आदेश संख्या .... का धारक है एवं जिनका खाता संख्या ....(अंतिम चार अंक) को देखा है एवं वह इस तारीख को जीवित है।

हस्ताक्षर पेंशनर

स्थान :–

तारीख :– नाम :–

प्राधिकृत अधिकारी का पद (मुहर सहित)